

उत्तराखण्ड शासन  
तकनीकी शिक्षा विभाग  
संख्या- 284/XLI-1/2018-112/15  
देहरादून: दिनांक: 23 फरवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, तकनीकी शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 337/XLI-1/2016-112/2015 दिनांक 02.03.2016 द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में विभागाध्यक्ष/प्रवक्ता पद पर कार्यरत कार्मिकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को निरस्त करते हुए प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय पालीटेक्निक संस्थानों में कार्यरत विभागाध्यक्ष/प्रवक्ता के पद पर मौलिक रूप से कार्यरत समस्त कार्मिकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची संलग्नकानुसार प्रख्यापित करते हुए सम्बन्धित कार्मिकों के मध्य प्रसारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- सम्बन्धित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी कार्मिक को उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पर अपनी प्रास्थिति के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो अभिलेखीय प्रमाणों सहित अपना प्रत्यावेदन इस कार्यालय ज्ञाप के निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अनिवार्यतः निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, श्रीनगर को स्पीड पोस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/प्रत्योवदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

3- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा उक्तानुसार कार्मिकों से प्राप्त आपत्तियों को संकलित करके उन पर बिन्दुवार नियमानुसार तथ्यात्मक आख्या सहित अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रकाशित करने हेतु प्रस्ताव हार्ड व सॉफ्ट स्वरूप में शीघ्रातिशीघ्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्न- परिशिष्ट-1

(ओम प्रकाश)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या : /XLI-1/2018-112/15 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर, पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को उसमें अंकित कार्मिकों के मध्य अपने स्तर से भी प्रसारित कराने का कष्ट करें।

2- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि संस्था में कार्यरत सम्बन्धित विभागाध्यक्षों/प्रवक्ताओं के मध्य उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को परिचालित करने एवं नोटिस बोर्ड में चस्पा करने का कष्ट करें। (निदेशक पर)।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)

अनु सचिव।

पू0सं0 3088

UO Letter

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड श्रीनगर गढ़वाल

/नि0प्रा0शि0/स्था0-18/2017-18

दिनांक 15 मार्च 2018।

प्रतिलिपि, समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 284/XLI-1/2018-112/15 दिनांक 23.02.2018 में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार, यदि किसी कार्मिक को उपरोक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पर अपनी प्रास्थिति के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो, तो अभिलेखीय प्रमाणों सहित अपना प्रत्यावेदन शासन के कार्यालय ज्ञाप प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड, श्रीनगर गढ़वाल को सम्बन्धित संस्था प्रधानाचार्य के माध्यम से स्पीड पोस्ट द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है।

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)

निदेशक।

उत्तराखण्ड शासन  
तकनीकी शिक्षा विभाग  
संख्या- 234/XLI-1/2018-112/15  
देहरादून: दिनांक: 23 फरवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, तकनीकी शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 337/XLI-1/2016-112/2015 दिनांक 02.03.2016 द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में विभागाध्यक्ष/प्रवक्ता पद पर कार्यरत कार्मिकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को निरस्त करते हुए प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय पालीटेक्निक संस्थानों में कार्यरत विभागाध्यक्ष/प्रवक्ता के पद पर मौलिक रूप से कार्यरत समस्त कार्मिकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची संलग्नकानुसार प्रख्यापित करते हुए सम्बन्धित कार्मिकों के मध्य प्रसारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- सम्बन्धित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी कार्मिक को उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पर अपनी प्रास्थिति के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो अभिलेखीय प्रमाणों सहित अपना प्रत्यावेदन इस कार्यालय ज्ञाप के निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अनिवार्यतः निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, श्रीनगर को स्पीड पोस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/प्रत्योवदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

3- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा उक्तानुसार कार्मिकों से प्राप्त आपत्तियों को संकलित करके उन पर बिन्दुवार नियमानुसार तथ्यात्मक आख्या सहित अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रकाशित करने हेतु प्रस्ताव हार्ड व सॉफ्ट स्वरूप में शीघ्रातिशीघ्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्न- परिशिष्ट-1

(ओम प्रकाश)  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या : /XLI-1/2018-112/15 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर, पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को उसमें अंकित कार्मिकों के मध्य अपने स्तर से भी प्रसारित कराने का कष्ट करें।
- 2- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि संस्था में कार्यरत सम्बन्धित विभागाध्यक्षों/प्रवक्ताओं के मध्य उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को परिचालित करने एवं नोटिस बोर्ड में चस्पा करने का कष्ट करें। (निदेशक (फर))
- 3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(अनूप कुमार मिश्रा)  
अनु सचिव।